रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2015/फाल्गुन 6, 1936
No. 440] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2015/PHALGUNA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2015

का.आ. 610(अ).—जबकि उत्तराखंड राज्य में रारा-74 के किमी 170/171 में कोसी पुल पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में रारा-74 के किमी 170/171 में कोसी पुल पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण से एतद्वारा मुक्त करती है क्योंकि प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने के पश्चात् और सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के लिए मासिक व्यय की तुलना में कम होगा जो मासिक राजस्व के रूप में अर्थक्षम नहीं होगा ।

[फा. सं.एनएच-12037/55/2013-यूआर/मिस./एनएच-II]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2015

S.O. 610(E).—Whereas the user fee is being collected by the State Government of Uttarakhand at Kosi Bridge in Km. 170/171 of NH-74 in the State of Uttarakhand.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E), dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Kosi Bridge in Km. 170/171 on National Highway No. 74 in the State of Uttarakhand from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the revenue through user fee collection would be less than expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E), dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E), dated 16.01.2014

[F. No. NH-12037/55/2013-UR/Misc./NH-II]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.